15 34 hrs.

TOBACCO BOARD BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) I beg to move†

> That the Bill to provide for the development under the control of the Union of the tobacco industry be taken into consideration

The tobacco plant was brought to our shores in the 17th century Since then it has not only taken root on our soil but it has flourished to cover 4 4 lakh hectares of land yielding 3 5 lakh tonnes of tobacco annually making us the third largest producer in the world next to USA and China

This fascinating plant which we have so fondly cultivated not only soothes the nerves of those who have taken to it by way of fashion or of habit but also satiates the hunger of 32 lakh persons engaged in the growing and processing of tobacco

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagao In honour of this Bill you allow smoking for all

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH We will keep it for export

Tobacco means not only earnings for the working men and women in the country but also earnings for the national exchequer About Rs 300 crores were netted as excise on tobacco last year

True to its puff it is inhaled only to be exhaled this plant which we imported about three centuries back has become a major export item of our country

MR DEPUTY-SPEAKER We have exhaled it

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH Yes Sir, that is what we are doing now We enjoy very much too the exhalation of it

In the last two years the annual export of tobacco has grown from 55,000 tonnes valued at Rs 40 crores to 70,000 tonnes valued at Rs 60 crores In this, Virginia tobacco has a very important role it alone fetches about 90 per cent of our export earnings In the world trade our share is about 7 per cent which shows the scope we yet have for expanding our tobacco exports in the world market

The fate of those who are in the tobacco industry is not only affected by the vagaries of weather and agro-climatic conditions but also by the vagaries of consumer preferences which vary from country to country

In this industry years of surplus have chased years of shortage resulting in wide oscillations of tobacco prices consequently chaotic conditions in the tobacco market prevail Whenever there was a surplus year prices fell resulting in the holding back of investments in the following season of the crop which has not only affected by way of short crops our earnings in foreign exchange but has also meant loss of foreign markets

This situation needs an integrated and coordinated approach from production right to purchase, publicity, marketing and research In the framework that we have today of the country such an approach is rather difficult to achieve It is with this objective that the Government is presenting before this House this Bill so that we could have an integrated agency for the development of this industry under the care of the Union Government and that the various interests the growers, the dealers and the exporters—could also be involved

†Moved with the recommendation of the President

This need was the felt need of many Members of Parliament They had been voicing this demand, and their demands had been echoed in the State Legislatures also Most of the tobacco-growing States have approve of the idea of such a Board This Bill is the expression of this very idea and it is with this purpose that we have come with this Bill

The Board is proposed to be constituted, apart from other members, with Members of Parliament, representatives of the Ministries of Central Government, growers of tobacco, manufacturers of tobacco products dealers and exporters of tobacco and representatives of major tobacco growing States

Among the main functions of the Board I may specifically mention the following —

Regulating the production and curing of Virginia tobacco its internal marketing and promotion of its grading at growers' level,

Keeping a constant watch on the Virginia tobacco market both in India and abroad,

Taking measures designed to avoid wide fluctuations in the prices of commodities,

Ensuring a fair and remunerative price for the same to the growers and for the purpose, purchasing Virginia tobacco from growers when such a step is considered necessary,

Recommending to the Central Government minimum prices which may be fixed for the export of tobacco,

Sponsoring, assisting, coordinating or encouraging scientific, technological and economic research for the promotion of the tobacco industry.

Promotion of exports of tobacco and tobacco products;

Revising of marketing strategy in consonance with the demand for the commodity outside India including group marketing under limited brand names,

Preparing information useful to the growers, dealers and exporters of tobacco and tobacco products

As most of the functions of the Tobacco Export Promotion Council will be taken over and as we do not want duplication, this Council will be wound up on the formation of this Board.

The Government also intends that this Board functions in fullest harmony with various institutions connected with development of and research on tobacco It will also utilise the services of the State Trading Corporation for exports The Government will not only give the Board the necessary powers commensurate with its objectives and tasks but will also provide necessary resources at its disposal by bringing a separate Bill by which cess could be levied by way of excise or customs on Virginia tobacco and other tobacco

Whether we smoke, sniff or chew tobacco or not, I am sure, this Bill will merit the consideration of the House while I commend it for its consideration I hope, the hon Members will appreciate it in its proper aroma

MR DEPUTY-SPEAKER Motion moved

> That the Bill to provide for the development under the control of the Union of the tobacco industry be taken into consideration '

श्री शिव नाथ सिंह (झुन्झुनू) अभी जैसा मत्री जी ने कहा विर्जीनिया किस्म का तम्बाकू हमारे देश में काफी पैदा होता है और उससे हमें काफी फारेन एक्सचेंज भी प्राप्त होता है । सरकार चाहती है कि इसका प्रापर डिवेलपमेंट हो ताकि देश को तथा प्रोड्यूसर को भी फायदा हो । यह उचित ही है । अभी तक इस ओर इस प्रकार का ध्यान नही गया था । अब गया है और सरकार यह

[श्री शिव नाथ सिंह]

बोर्ड बनाने जा रही है। इसलिए मै जो कदम उठाया जा रहा है इसका—स्वागत करता हू।

विर्जीनिया तम्बाकू के अलावा हमारे देश मे और भी कई प्रकार का तम्बाकू पैदा होता है। बेशक यह बोर्ड खास तौर से विर्जीनिया तम्बाकू के लिए बनाया जा रहा है फिर भी दूसरी किस्म का जो तम्बाकू है, उसके भी डिवेलपमेट के लिए, उसके विकास के लिए जो प्रोड्यूसर उसमे लगे हुए है उसको भी राहत मिले उसके वास्ते भी इसमे प्रावधान आपने रखा है। मै इसका स्वागत करता हू।

बहुत न कह कर दो तीन बातो की ओर ही मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हू। आपने बोर्ड की कास्टीट्यूशन मे दो स्टेट्स को—खास तौर से अहमियत दी है आध्र और कर्नाटक। यही दो स्टेट्स है जहा इस बढ़िया किस्म का तम्बाकू पैदा होता है। लेकिन दूसरे भी प्रान्त है जहा दूसरी किस्म का तम्बाकू पैदा होता है। और भारी मात्रा मे होता है। इस वास्ते उनको भी आपको चाहिये था कि बोर्ड मे आप प्रापर रिप्रिजेटेशन देते। जब तक ऐसा नहीं होता है वहा के लोगो की जो दिक्कते है, उनकी ओर बोर्ड का ध्यान नही जायगा। आपने इसका मुख्यालय साउथ मे रखा है जो ठीक ही है। फिर भी दूसरे प्रान्तो के लोग जो तम्बाकू पैदा करने मे लगे हुए है उनकी ओर मैं समझता हू कि प्रापर रिप्रिजेटेशन न होने की वजह से समुचित ध्यान नही जा पाएगा। अदर स्टेट्स के लिए आपने यह प्रावधान किया है कि बाई रोटेशन उनके प्रतिनिधियो को लिया जाएगा। अब कितने साल मे एक स्टेट का नम्बर आएगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। सभी स्टेट्स तम्बाकू पैदा नही करती है। कुछ स्टेट्स जो करती हैं उनमें राजस्थान के बारे में मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हू कि वहा दूसरी किस्म का तम्बाकू बहुत बडी मात्रा में पैदा होता है और बहुत बडी सख्या में किसान इसके उत्पादन मे लगे हुए है और उनके लिए भी बोर्ड मे प्रतिनिधित्व का प्रावधान आप रखते तो ज्यादा अच्छा होता। जिस प्रकार का प्रावधान इस समय आपने किया है उससे उन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व उसमे नही हो पाएगा।

चौथी क्लाज़ मे आपने रखा है

"The term of office of the members and the manner of filling vacancies among and the procedure to be followed in the discharge of their functions by, the members shall be such as may be prescribed

आपने प्रेसक्राइब्ड शब्द रखा है। मेरा निवेदन है कि इसको पार्लियामेट के सामने आना चाहिये। रूल्ज मे जिस बात को आप रखना चाहते है उस पर मुझे सख्त एतराज है। किस प्रकार का टर्म होगा कितने टर्म के लिए रखे जाएगे किस प्रकार नामिनेशन होगा किस प्रकार रिटायरमेट होगा ये सब बाते पार्लियामेट के सामने आनी चाहिये। जब इतना बडा और महत्वपूर्ण बोर्ड आप बनाने जा रहे है तो इन बातो को रूल्ज पर या आथारिटी पर छोडना मुझे कतई पसन्द नही है। अच्छा होता यदि पार्लियामेट के सामने आप इस तरह की चीज को लाने की व्यवस्था करते और उसका एप्रूवल लेने की व्यवस्था करते। रूल्ज जब बने तो वे पार्लियामेट के सामने आए ताकि उनको पार्लियामेट चाहे तो एमेंड कर सके। इस सब को रूल्ज पर नही छोडना चाहिये। कान्स्टीट्यूशन और टर्म आदि सब बाते जो मेम्बरो के लिए होगी उनको आपको बिलके अन्दर प्रोवाइड करना चाहिये था।

क्लाज 8 के सब क्लाज तीन पर अब मैं आता हूं। आपने कहा है कि बोर्ड देखेगा कि विर्जीनिया तम्बाकू की कितनी डिमांड देश में है, बाहर कितनी है और कितने क्षेत्र में इसको बोया जाना चाहिये और इसकी किस प्रकार मार्किटिंग हो, इस पर भी बोर्ड को इस क्लाज में निगाह रखने का अधिकार दिया गया है। अब आपने सब क्लाज तीन में कहा है कि सब क्लाज सी से जी तक दूसरे तम्बाकू के लिए भी लागू होगी और क्लाज ए और बी को आपने अलग किया है। यह मेरी समझ में नही आया है। जब आप सी से जी तक लागू कर रहे है तो ए और बी पर भी इसको लागू क्यो नही करते है। हो सकता है कि आपका ध्यान विर्जीनिया तम्बाकू पर अधिक हो। लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है जब दूसरी किस्म का जो तम्बाकू है इसको भी ठीक तरह से डिवेलप आप करे, इसके सुखाने के तरीके में, इसके पैकिंग के तरीके मे सुधार आप लाए। इससे भी फारेन एक्सचेंज कमाई जा सकती है, इसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है और बहुत बड़ी मार्किट हमे मिल सकती है। इस वास्ते दूसरी किस्म के तम्बाक को आप क्यो निगलेक्ट करना चाहते है। उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये।

तम्बाकू के धंधे में कई प्रकार के लोग लगे हुए है। ग्रोअर्ज है जिनका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। उसको अपनी मेहनत का पूरा फल नही मिलता है। बिचौलिये बहुत बड़ा भाग कीमत का खा जाते है और उसको पूरी कीमत नही मिल पाती है। फिर मजदूर भी है जो सिग्रेट, बीडी बनाने के काम में, प्रोडक्शन की साइड मे लगे हुए है और उनका भी शोषण, मालिक लोग कर रहे है। महिलाएं लगी हुई है, बच्चे लगे हुए है जिनको ठीक तरह से ठीक वेजिज आज भी नही मिल पा रही है।

सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उनको ठीक वेजिज मिलें, उनकी वर्किंग कन्डीशन्ज मे सुधार हो और जो सहूलियते अन्य इडस्ट्रीज मे काम करने वालों को मिलती है, वे उन लोगो को भी उपलब्ध की जाये। आज प्रोड्यूसर सरकारी मशीनरी के द्वारा बहुत ज्यादा पीडित है। सब प्रकार के तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन मैं अपने प्रदेश के बारे मे कह सकता हूं कि राजस्थान मे सेट्रल एक्साइज ड्यूटी मे जितना रुपया मिलना चाहिए, उस का 10 परसेंट भी सरकारी खजाने मे नही आता है। सरकारी अफसर, चाहे वे इस्पेक्टर लेबल के हो और चाहे सुपरिन्टेडेट लेबल के, काश्तकारों से पैसा खाते हैं। एक्साइज ड्यूटी का रुपया न काश्तकारो को मिलता है और न सैट्रल गवर्नमेंट को। इसमे दो राये नही है कि सरकारी अफसर उसका 90 परसेंट पैसा खा जाते है। सरकार को इनकी चैकिंग करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार काश्तकारो को राहत दी जा सकती है।

सरकार वर्जीनिया तम्बाकू के अलावा दूसरी किस्म के तम्बाकू का भी डेवेलपमेंट करना चाहती है, लेकिन वह उसके प्रोड्यूसरो को प्रोटेक्शन नही देना चाहती है। इसीलिए क्लाज 8(2) के भाग सी से (जी) उनके लिए लागू किये गये है। मेरा निवेदन है कि भाग ए) और (बी) को भी लागू किया जाये, ताकि हम समझ सके कि सरकार दूसरे तम्बाकू के विकास मे भी इन्ट्रेस्टिड है और उसकी पैदावार तथा उस की इन्डस्ट्री मे लगे हुए लोगों की स्थिति को सुधारना चाहती है।

चैप्टर 3 के अन्तर्गत क्लाज 10 मे काफी कड़ी शर्तें लगाई गई है। उसमे कहा गया है कि काश्तकार को सर्टफ़िकेट आफ़ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि हर साल एसेस किया जाएगा कि सारे हिन्दुस्तान में कितनी जमीन मे तम्बाकू की काश्त की जायेगी और उसमें कमी या वृद्धि भी की जा सकेगी। यह शर्त भी लगाई गई है कि सर्टिफिकेट देते

[श्री शिवनाथ सिंह]

हुए सूटेबिलिटी श्राफ़ लैंड श्रादि बातो का ध्यान रखा जायेगा । मेरा कहना यह है कि हमारे देश मे कृषि की जो हालत है श्रौर साइटिफिक डेवेलपमेट की जो स्थिति है, उसमे सरकार इन बातो को लागू नही कर पायेगी । श्राज हमारा काश्तकार श्रपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के श्राधार पर यह समझता है कि उ को किस जमीन मे श्रौर किस मौसम मे काश्त करना है । इन बातो को उस पर छोड़ देना चाहिए । काश्तकार तम्बाकू का प्राडक्शन करे श्रौर उसके बाद सरकार उसके मार्केटिग श्रौर एक्सपोर्ट श्रादि की व्यवस्था करे । श्रगर सरकार क्लाज 10 मे दी गई कागजी कार्यवाही मे उलझ जायेगी, तो बोर्ड का काम ठीक ढग से नही चल पायेगा ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हू, लेकिन मैं चाहता हू कि मत्री महोदय मेरे सुझावो पर ध्यान देने की चेष्टा करे ।

SHRI P. NARASIMHA REDDY (Chittor): I whole-heartedly welcome this Bill which is in fact long long overdue. In introducing this Bill the hon. Minister has graphically and appealingly traced the history of this crop which occupies a very important place in our economy. This crop, the Minister was pleased to say, was introduced in this country as long ago as the seventeenth century and the history of this crop has been one of toil and tears and sweat. And in this country it has been subjected to various price vacillations and trade malpractices so much so that the growers of this crop have undergone centuries long suffering and exploitation.

I come from Andhra Pradesh which contributes a sizeable, in fact, 90 per cent of the Virginia tobacco crop in this country. ou are ware and most of the members in this House are aware that the Andhra tobacco-growers have been agitating since decades for some such statutory safeguard for affording them protection from the price vacillations and exploitations as regards price and other malpractices as also for positive State action for providing an impetus and safeguards and other incentives for increasing the productivity and the quality of this important crop on which, as the Minister was pleased to say, lakhs of people, in fact, 32-35 lakhs of people, are dependent for their living. While welcoming this Bill I would like to express in this connection my sense of disappointment that it has not been made as comprehensive as it should be. It has not come up to our expectations. Unfortunately this Tobacco, even though it contributes Rs. 160 crores to the Customs and Excise revenue, has suffered neglect I should say. It has not been so fortunate as the Coffee Tea, Spices and other Commodities' Boards which have had statutory protection much earlier. Anyhow it is better late in the day then never, that this Bill has been brought forward. This is as a result of agitations carried on by growers in Andhra Pradesh and other parts of the country. This measure was held up for several long years on account of inter-ministerial wangles, if I may say so, between Agriculture Ministry and the Foreign Trade Ministry both claiming exclusive domain in regard to this subject. Even today as the Bill is drafted and introduced I am afraid that this sort of dual responsibility may continue. It may hamstring and constract the functioning of this Board. The Board proposed to be set up should be on par with the other Boards of other commodities like Coffee, Tea, Spices, etc. I have brought forward certain amendments which I hope the Minister will accept. One is with regard to the composition of the Board. The growers' representation in the Board should be increased and this should be made more specific, in conformity with the composition of other Commodities Boards. What we find is, un-

due place is given to several Governmental representatives of Ministries and only a casaual mention is made of Gorwers' representatives.

MR. DEPUTY SPEAKER: You may continue your speech tomorrow.

---

16 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT

FAILURE OF GOVERNMENT TO SOLVE THE MYSTRY OF SAMASTIPUR BOMB CASE

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up the Motion 'That the House do now adjourn' Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये : (बाका) : मुझे कितना समय मिलेगा ? 40 मिनट में, मैं खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं लगा ।

16 1 hrs

(SHRI VASANT SATHE *in the Chair*)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को और इस सदन को अब स्थगित किया जाय ।

आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । क्योंकि एक अरसे से हमारे देश में रहस्यपूर्ण मौतें होती है और इस रहस्य को हल करने का सरकार के द्वारा कोई समुचित इन्तजाम नहीं किया जाता है । सब से पहले मैं आपकी खिदमत में आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने ही जो बात कही है उसी से अपने भाषण को शुरू करना चाहता हू । यह हिन्दुस्तान टाइम्स मे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई उस की रिपोर्ट है। उस में से एक हिस्सा मैं पढ कर सुनाना चाहता हूं :

"Mr. P. R. Das Munsi said: There was a general feeling in the country that the Government had indulged in misconduct from the death under mysterious circumstances of Nagarwala to L. N Mishra. The Government has not done anything to remove the doubts of the people, he added."

अब हो सकता है कि इसके बाद मे ये इसका प्रतिवाद करेंगे । लेकिन उन्होंने जो बात कही है वह हिन्दुस्तान के कई लोगों के मन मे बात है कि हमारे देश मे विगत कुछ वर्षों से बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से लोगों को खत्म किया जा रहा है । इसी दिल्ली शहर मे नवम्बर महीने की घटना है, अनिल चोपरा नाम का जो दमन का कस्टम कलेक्टर था उस की मौत भी रहस्यपूर्ण वातावरण मे हुई । सी०बी०आई०के जो दो अफसर पाडेय और रामनाथन – उनके बारे मे भी कहा गया है कि सडक दुर्घटना मे उनकी मौत हुई है । नागरवाला काड के बारे मे सभी लोग जानते है कि नागरवाला की जो मृत्यु हुई वह भी रहस्यपूर्ण वातावरण मे हुई । उनके मामले की जाच करने वाले जो पुलिस अफसर कश्यप साहब–उनकी मौत भी रहस्यपूर्ण वातावरण मे हुई है । जनसंघ के जनरल सैक्रेटरी (व्यवधान) . पहले जनरल सैक्रेटरी थे, फिर अध्यक्ष बने, श्री दीन दयाल उपाध्याय जी, उनकी भी मौत का रहस्य भी दो दो कमीशनों को बैठाने के बाद भी नही खुल पाया है और समस्तीपुर बम विस्फोट के बारे मे भी आम लोगों की यह राय है कि सरकार ने इस रहस्य को खोलने के लिए समुचित प्रयास नही किया ।

जैसे ही 3 तारीख को श्री ललित नारायण मिश्र की मृत्यु की खबर आई, एक स्वर से एक आवाज से विरोध पक्ष ने अपना दुख प्रकट किया । इतना ही नही, हिंसा के इस्तेमाल के बारे मे भी बहुत स्पष्ट शब्दो मे उन्होने कहा कि हिंसा का रास्ता हमारा नही है । विरोध पक्ष ने निष्पक्ष और खुली जाच की माग की ।